



सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

वार्षिक लेखा विवरण
2013 – 2014

उद्देश्य और कार्य

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 (2008 का 27) के अंतर्गत गठित तथा दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 की गजट अधिसूचना द्वारा अधिसूचित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) एक सांविधिक निकाय है। सरकार द्वारा दिनांक 12.05.2009 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 317 (ई) के द्वारा ऐरा की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय दिल्ली में है।

ऐरा के सांविधिक कार्य, जैसा कि भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 में कहा गया है, इस प्रकार है :

- (क) निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ अवधारित करना—
 - (i) विमानपत्तन सुविधाओं के सुधार के लिए उपगत पूंजी व्यय और समय से किया गया विनिधान;
 - (ii) प्रदान की गई सेवा, उसकी क्वालिटी और अन्य सुसंगत बातें;
 - (iii) दक्षता में सुधार लाने के लिए लागत;
 - (iv) महा विमानपत्तन का मित्तव्ययी और व्यवहार्य प्रचालन;
 - (v) वैमानिकी सेवाओं से भिन्न सेवाओं से प्राप्त राजस्व;
 - (vi) किसी करार या समझौता ज्ञापन में या अन्यथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्थापित रियायत;
 - (vii) कोई अन्य बात जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुसंगत हो;

परन्तु उपखंड (i) से उपखंड (vii) में विनिर्दिष्ट उपरोक्त सभी या किसी बात को ध्यान में रखते हुए, भिन्न - भिन्न विमानपत्तनों के लिए भिन्न - भिन्न टैरिफ संरचनाएं नियत की जा सकेंगी;

- (ख) महा विमानपत्तनों के संबंध में विकास फीस की रकम अवधारित करना;
- (ग) वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम 88 के अधीन उद्गृहीत यात्री सेवा फीस की रकम अवधारित करना;
- (घ) सेवा की क्वालिटी, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित ऐसे उपवर्णित कार्यपालन मानकों को जो केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, मॉनीटर करना;
- (ङ) ऐसी सूचना मांगना जो खंड (क) के अधीन टैरिफ के अवधारण के लिए आवश्यक हो;
- (च) टैरिफ से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाएं या जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो;

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

बैलेंस शीट 31.03.2014 को

(राशि - रूपए)

कॉर्प्स/पूँजी निधि और देनदारियां	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कॉर्प्स/पूँजी निधि	1	1,31,40,536.56	1,47,86,510.51
आरक्षित और अधिशेष	2	—	—
निर्धारित/अक्षय निधि	3	—	—
सुरक्षित ऋण उधार	4	—	—
असुरक्षित ऋण उधार	5	—	—
आस्थगित ऋण देनदारियां	6	—	—
मौजूदा देनदारियों और प्रावधान	7	2,29,50,866.00	2,22,95,209.00
		3,60,91,402.56	3,70,81,719.51
परिसंपत्ति			
अचल परिसंपत्ति	8	2,65,56,197.00	3,16,90,737.00
निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश	9	—	—
निवेश - अन्य	10	—	—
मौजूदा परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि विविध व्यय (बट्टे खातों में डाले जाने या समायोजित किए जाने तक)	11	95,35,205.56	53,90,982.51
		3,60,91,402.56	3,70,81,719.51
महत्वपूर्ण लेखाकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताओं और खातों पर टिप्पणियां	25		

(Handwritten signature)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/07/2014

यशवन्त एस भावे
अध्यक्ष

आलोक शेखर
आलोक शेखर
सचिव



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

31.03.2013 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रूपए)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 अधिशेष			i) खर्च		
क) नकद	—	—	क) स्थापना व्यय	1,50,99,961.00	1,23,50,053.00
ख) बैंक बैलेंस	—	—	ख) प्रशासनिक खर्च	3,82,07,792.95	3,22,98,151.25
i) चालू खातों में	15,68,509.51	16,66,902.76	घटाएं : पिछले वर्ष के पहले दिए गए खर्च	—	—
ii) जमा खातों में	—	—	घटाएं : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अग्रिम समायोजन	—	—
iii) बचत खातों में	—	—			
ii) प्राप्त अनुदान			ii) विभिन्न परियोजनाओं के लिए किए गए भुगतान		
क) भारत सरकार से	5,70,00,000.00	4,50,00,000.00	(परियोजना के लिए निधि का नाम प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण के साथ दिखाया जाना चाहिए)	—	—
ख) राज्य सरकार से	—	—			
ग) अन्य स्रोतों से (ब्यौरे)	—	—			
(पूँजी और राजस्व खर्च के लिए अनुदान अलग दिखाए जाएं)	—	—			
iii) निवेश पर आय			iii) किए गए निवेश और जमा		
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	—	—	क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि में से	—	—
ख) अपनी निधियां (अन्य निवेश)	—	—	ख) अपनी निधियों में से (निवेश-अन्य)	—	—
iv) प्राप्त ब्याज			iv) अचल अस्तियों और चल रहे कार्यों पर व्यय		
क) बैंक में जमा पर	—	—	क) अचल परिसंपत्ति की खरीद	5,52,538.00	4,34,820.00
ख) ऋण, अग्रिम आदि	—	—	ख) चल रहे पूँजी कार्यों पर व्यय	—	—
			ग) चल रहे कार्यों के लिए	—	—
v) अन्य आय (निर्दिष्ट करें)	9,295.00	17,140.00	v) अधिशेष पैसे/ऋण, की वापसी		
बेदी एंड बेदी एसोसिएट्स से प्राप्त	30,000.00	1,50,000.00	क) भारत सरकार को	—	—
सियोक्विटी डिपाजिट	—	—	ख) राज्य सरकार को	—	—
			ग) निधि के अन्य प्रदाताओं को	—	—
vi) उधार ली गई राशि	—	—	vi) वित्त प्रभार (ब्याज)	7,650.00	5111.00
vii) कोई भी अन्य प्राप्तियां (ब्यौरे दें)			vii) अन्य भुगतान प्रीपेड खर्च (बताएं)	700.00	1,77,398.00
बैंक खाता खोलने के लिए नागर विमानन मंत्रालय से प्राप्त	—	—			
viii) अन्य आय			viii) रोकड़ बाकी		
			क) नकद शेष	—	—
			ख) बैंक बैलेंस	—	—
			i) चालू खातों में	47,39,162.56	15,68,509.51
			ii) जमा खातों में	—	—
			iii) बचत खातों में	—	—
	5,86,07,804.51	4,68,34,042.76		5,86,07,804.51	4,68,34,042.76



स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/07/2014

यशवन्त एस भावे
अध्यक्ष

आलोक शेखर
आलोक शेखर
सचिव

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आय और व्यय का लेखा 31.03.2014 को समाप्त वर्ष

(राशि-रुपए)

कॉर्प्स/पूंजी निधि और देनदारियां	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12	—	—
अनुदान/राजसहायता	13	5,70,00,000.00	4,50,00,000.00
फीस/सदस्यता शुल्क	14	—	—
निवेश पर आय	15	—	—
निर्धारित/अक्षय निधि से कोष को हस्तांतरित		—	—
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	—	—
अर्जित ब्याज	17	9,445.00	17,280.00
अन्य आय	18	—	—
स्टाक में वृद्धि/(कमी) तैयार माल और तैयार किया गया जा रहा माल	19	—	—
कुल (क)		5,70,09,445.00	4,50,17,280.00
व्यय			
स्थापना व्यय	20	1,52,37,093.00	1,28,33,018.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	3,97,42,564.95	4,97,98,298.25
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	—	—
ब्याज	23	—	—
मूल्यहास	8	56,87,078.00	75,27,698.00
कुल (ख)		6,06,66,735.95	7,01,59,014.25
शेष व्यय पर आय से अतिरिक्त (क-ख) विशेष आरक्षित करने के लिए स्थानांतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)		(36,57,290.95)	(2,51,41,734.25)
क) मरम्मत और अनुरक्षण के लिए प्रावधान		(30,00,000.00)	
ख) बिजली के लिए प्रावधान		(3,00,000.00)	
जनरल आरक्षित से/को स्थानांतरण			
अधिशेष बेलेंस/(घाटा)			
संग्रह/पूंजी निधि में ले जाया गया।		(69,57,290.95)	(2,51,41,734.25)
महत्वपूर्ण लेखाकन नीतियां	24	—	—
आकस्मिक देयताओं और खातों पर टिप्पणियां	25	—	—

(Handwritten Signature)

आलोक शेखर

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/07/2014

यशवन्त एस भावे
अध्यक्ष

आलोक शेखर
सचिव



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

बैलेंस शीट की अनुसूची - 31.03.2014

(राशि - रुपए)

अनुसूची 1 कॉर्प्स/पूँजी निधि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नागर विमानन मंत्रालय (बैंक खाता खोलने के लिए राशि)	—	10,000.00
वर्ष के आरंभ में शेष	1,47,86,510.51	3,99,18,244.76
जोड़ें : पिछले वर्ष से संबंधित कॉर्प्स में समायोजन	66,69,552.00	—
घटाएं : पिछले वर्ष से संबंधित कॉर्प्स में समायोजन	(13,58,235.00)	—
आय और व्यय लेखा से अन्तरण	(69,57,290.95)	(2,51,41,734.25)
वर्ष के अंत में शेष	1,31,40,536.56	1,47,86,510.51
अनुसूची 2 - आरक्षित और अधिशेष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. पूँजी आरक्षित	—	—
पिछले खाते के अनुसार	—	—
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	—	—
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	—	—
2. पुन मूल्यांकन आरक्षित	—	—
पिछले खाते के अनुसार	—	—
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	—	—
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	—	—
3. विशेष आरक्षित	—	—
पिछले खाते के अनुसार	—	—
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	—	—
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	—	—
4. सामान्य आरक्षित	—	—
पिछले खाते के अनुसार	—	—
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	—	—
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	—	—
कुल	—	—
अनुसूची 3 - निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) निधियों का आरंभिक शेष	—	—
(ख) निधियों में जमा राशि	—	—
जोड़ (क+ ख)	—	—
(ग) निधियों का उपयोग	—	—
जोड़ (ग)	—	—
वर्ष के अंत में शेष (क + ख-ग)	—	—



स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/07/2014

यशवन्त एस भावे
अध्यक्ष

आनोक शेखर
आनोक शेखर
सचिव

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

बैलेंस शीट की अनुसूची - 31.03.2014 की स्थिति

(राशि - रुपए)

अनुसूची 4 - सुरक्षित ऋण और उधार	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं		
क) आवधिक ऋण	-	-
ख) इस पर ब्याज और देय राशि	-	-
4. बैंक :		
क) आवधिक ऋण	-	-
इस पर ब्याज और देय राशि	-	-
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें) ब्याज	-	-
इस पर ब्याज और देय राशि	-	-
5. अन्य संस्थाएं और एंजेसियों	-	-
6. डिबेंचर और बांड्स	-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-
नोट : एक वर्ष के भीतर देय राशि		
अनुसूची 5 - असुरक्षित ऋण और उधार	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक :		
क) आवधिक ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
5. अन्य संस्थाएं और एंजेसियां	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. फिक्स्ड डिपॉजिट	-	-
8. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
नोट : एक वर्ष के भीतर देय राशि	-	-



स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/04/2014

यशवन्त एस भावे
अध्यक्ष

आलोक शेखर
आलोक शेखर
सचिव

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

बैलेंस शीट की अनुसूची - 31.03.201 की स्थिति

(राशि - रुपए)

अनुसूची 6 - अस्थागित ऋण और देनदारियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) स्वीकृतियां पूंजी उपकरणों और परिसंपत्तियां दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	-	-
नोट : एक वर्ष के भीतर देय राशि		
अनुसूची 7 - मौजूदा देनदारियां और प्रावधान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) मौजूदा देनदारियां	-	-
1. स्वीकृतियां	-	-
2. विविध लेनदार	-	-
क) माल के लिए	1,75,06,305.00	2,07,31,268.00
ख) अन्य	-	-
3. प्राप्त अग्रिम	-	-
4. उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-
क) सुरक्षित ऋण/उधार	-	-
ख) असुरक्षित ऋण/उधार	-	-
5. वैधानिक देनदारियां	-	-
क) अति देय	-	-
ख) अन्य	-	-
6. अन्य मौजूदा देनदारियां	-	-
क) शुल्क और कर	19,64,561.00	14,13,941.00
ख) वापसी योग्य प्रतिभूति जमा	1,80,000.00	1,50,000.00
कुल (क)	1,96,50,866.00	2,22,95,209.00
(ख) प्रावधान	-	-
1. कराधान के लिए	-	-
2. उपदान	-	-
3. सेवानिवृत्त/पेंशन	-	-
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	-	-
5. व्यापार वारंटी/दावें	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
क) मरम्मत और अनुरक्षण के लिए प्रावधान	30,00,000.00	-
ख) बिजली के लिए प्रावधान	3,00,000.00	-
कुल (ख)	33,00,000.00	-
कुल (क + ख)	2,29,50,866.00	2,22,95,209.00



स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09/04/2014

यशवन्त एस मावे
अध्यक्ष

आलोक शेखर

आलोक शेखर
सचिव

आयकर अधिनियम के अनुसार मूल्यह्रास अनुसूची 31.03.2013 की स्थिति

अनुसूची -8

विवरण	कुल संपत्तियां				एस एल एम पर मूल्यह्रास			वर्ष के दौरान पर कटौतियां	निवल कुल संपत्तियां		
	वर्ष की शुरुआत में लागत मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत-मूल्यांकन	वर्ष आरंभ में मौजूदा संपत्तियों पर मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान जोड़ी गई संपत्तियों पर मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान जोड़ी गई संपत्तियों पर मूल्यह्रास		वर्ष के लिए कुल मूल्यह्रास	31.3.2014 को स्थिति के अनुसार चालू वर्ष में	31.3.2014 की स्थिति के पिछले वर्ष में
भूमि और भवन											
लीजहोल्ड इम्प्रूवमेंट	2,16,01,055.00	—		2,16,01,055.00	43,20,212.00	21,60,106.00	—	—	64,80,318.00	1,51,20,737.00	1,72,80,843.00
प्लांट और मशीनरी											
लिफ्ट	26,40,361.00	—		26,40,361.00	7,93,040.00	3,96,054.00	—	—	11,89,094.00	14,51,267.00	18,47,321.00
फर्नीचर और फिक्सचर											
फर्नीचर और फिटिंग	12,53,119.00	11,981.00		12,65,100.00	2,31,103.00	1,25,312.00	634.00	—	3,57,049.00	9,08,051.00	10,22,016.00
जेनरेटर	14,16,320.00	—		14,16,320.00	4,24,896.00	2,12,448.00	—	—	6,37,344.00	7,78,976.00	9,91,424.00
बिजली उपकरण	66,37,991.00	—		66,37,991.00	19,91,398.00	9,95,699.00	—	—	29,87,097.00	36,50,894.00	46,46,593.00
कंप्यूटर/बाह्य उपकरण											
बर्फालोज टेरा स्टेशन	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
मोडम के साथ											
कंप्यूटर	53,59,570.00	1,12,226.00		54,71,796.00	52,08,693.00	1,50,877.00	7,920.00	—	53,67,490.00	1,04,306.00	1,50,877.00
एच.पी प्रिंटर	5,95,980.00	—		5,95,980.00	4,79,928.00	1,14,239.00	—	—	5,94,167.00	1,813.00	1,16,052.00
लैपटॉप	—	2,08,500.00		2,08,500.00	—	—	343.00	—	343.00	2,08,157.00	—
स्कैनर	9,869.00	—		9,869.00	6,083.00	3,786.00	—	—	9,869.00	—	3,786.00
स्विच मोडेम	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
सॉफ्टवेयर (विडियो, एंटी वायरस, आफिस)	11,35,359.00	20,225.00		11,55,584.00	8,51,217.00	2,84,026.00	8,511.00	—	11,43,754.00	11,830.00	2,84,142.00
यूपीएस	1,36,978.00	—		1,36,978.00	1,06,553.00	29,928.00	—	—	1,36,481.00	497.00	30,425.00
हार्ड ड्राइव	—	20,139.00		20,139.00	—	—	9,766.00	—	9,766.00	10,373.00	—
प्रोजेक्टर	—	84,375.00		84,375.00	—	—	39,390.00	—	39,390.00	44,985.00	—
डाटा कार्ड	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
कार्यालय के उपकरण											
ऑयल हीटर	23,023.00	—		23,023.00	6,514.00	3,453.00	—	—	9,967.00	13,056.00	16,509.00
फोटोकॉपीर मशीन	13,83,588.00	—		13,83,588.00	5,39,442.00	2,07,538.00	—	—	7,46,980.00	6,36,608.00	8,44,146.00
तिजोरी	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
कागज कटर मशीन	1,34,606.00	—		1,34,606.00	60,130.00	20,191.00	—	—	80,321.00	54,285.00	74,476.00
डिलीगी ह्यूमिडिफायर	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
कोर्डलेस फोन	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
पुस्तकालय की पुस्तकें	3,71,731.00	86,167.00		4,57,898.00	3,01,436.00	70,295.00	12,545.00	—	3,84,276.00	73,622.00	70,295.00
वेब कैमरा	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
बुक स्कैनर	28,00,000.00	—		28,00,000.00	4,23,452.00	4,20,000.00	—	—	8,43,452.00	19,56,548.00	23,76,548.00
कार्यालय उपकरण	17,54,685.00	8,925.00		27,63,610.00	8,19,401.00	4,13,203.00	814.00	—	12,33,418.00	15,30,192.00	19,35,284.00
	4,42,54,235.00	5,52,538.00	—	4,88,06,773.00	1,65,63,498.00	56,07,155.00	79,923.00	—	2,22,50,576.00	2,65,56,197.00	3,16,90,737.00

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/07/2014

यशवन्त एस भावे
यशवन्त

आलोक शेर
आलोक शेर

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

बैलेंस शीट की अनुसूची - 31.03.2014 की स्थिति

(राशि - रुपए)

अनुसूची 9	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश		
1 सरकारी प्रतिभूतियों में	—	—
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	—	—
3 शेयर	—	—
4 डिबेंचर और बांड्स	—	—
5 सहायक और संयुक्त उद्यम	—	—
6 अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	—	—
कुल	—	—
अनुसूची 10	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अन्य निवेश		
1 सरकारी प्रतिभूतियों में	—	—
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	—	—
3 शेयर	—	—
4 डिबेंचर और बांड्स	—	—
5 सहायक और संयुक्त उद्यम	—	—
6 अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	—	—
कुल	—	—



स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/11/2014

यशवन्त एस भावे
अध्यक्ष

आलोक शेखर
सचिव

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

बैलेंस शीट की अनुसूची - 31.03.2014 की स्थिति

(राशि - रूपए)

अनुसूची 11	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मौजूदा परिसम्पत्ति, ऋण, अग्रिम आदि		
(क) मौजूदा परिसंपत्ति		
1. इन्वेंट्रीज :	-	-
क) स्टोर और फालतु पुर्जे	-	-
ख) लूज टूल्स	-	-
ग) व्यापार में स्टॉक	-	-
निर्मित माल	-	-
बनाया जा रहा माल	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध देनदार		
क) छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-
ख) अन्य	-	-
3. नकद शेष (चैक/ड्राफ्ट और इम्प्रेस्ट सहित)	-	-
4. बैंक में जमा राशि :		
क) अनुसूचित बैंक के पास		
चालू खाते में (सिंडिकेट बैंक)	47,39,162.56	15,68,509.51
जमा खाते में (मार्जिन मनी शामिल)	-	-
बचत खाते में	-	-
ख) गैर अनुसूचित बैंक में	-	-
चालू खाते में (सिंडिकेट बैंक)	-	-
जमा खाते में (मार्जिन मनी शामिल)	-	-
बचत खाते में	-	-
5. डाकघर बचत - खातें		
कुल (क)	47,39,162.56	15,68,509.51
ख) ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्तियां		
1. ऋण :		
क) कर्मचारी	-	-
ख) अन्य गतिविधियों/उद्देश्यों में लगे संस्थाओं इकाई के बराबर	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
2. नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियां :		
क) पूंजी खातों पर (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)	-	-
ख) अग्रिम भुगतान	45,40,078.00	36,45,075.00
ग) अन्य (एन आई सी एस आई)	1,45,326.00	66759.00
घ) स्टाफ के विदेशी दौरे के लिए अग्रिम अदायगी	1,10,639.00	110639.00
3. अर्जित आय :		
क) निर्धारित/धर्मादा निधि से निवेश पर	-	-
ख) निवेश पर - अन्य	-	-
ग) ऋण और अग्रिम	-	-
घ) अन्य	-	-
(प्राप्त न हुई देय आय सहित, रूपए.....)	-	-
4. प्राप्य दावा:		
कुल (ख)	47,96,043.00	38,22,473.00
कुल (क + ख)	95,35,205.56	53,90,982.51



स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/04/2014

यशवन्त एस भावे
अध्यक्ष

आलोक शेरवत
सचिव

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आय और व्यय खाते की 'अनुसूची' 31.03.2014 की स्थिति

(राशि - रुपए)

अनुसूची 12 -	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्री / सेवाओं से आय		
1. बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री	—	—
ख) कच्चे माल की बिक्री	—	—
ग) स्कैप की बिक्री	—	—
2. सेवाओं से आय		
क) श्रम एवं प्रसंस्करण प्रभार	—	—
ख) व्यावसायिक/परामर्श दात्री सेवाएं	—	—
ग) ऐजन्सी कमीशन और दलाली	—	—
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	—	—
ड) अन्य (निर्दिष्ट करें)	—	—
कुल	—	—
अनुसूची 13 -	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
2. अनुदान/सब्सिडी से आय		
(अटल, अनुदान और प्राप्त सहायता)		
1) केन्द्र सरकार	5,70,00,000.00	4,50,00,000.00
2) राज्य सरकार (रों)	—	—
3) सरकारी ऐजेंसियां	—	—
4) संस्थान/कल्याणकारी निकाय	—	—
5) अन्तरराष्ट्रीय संगठन	—	—
जोड़	5,70,00,000.00	4,50,00,000.00
अनुसूची 14 -	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
फीस/सदस्यता से आय		
1) प्रवेश शुल्क	—	—
2) वार्षिक फीस/सदस्यता शुल्क	—	—
3) संगोष्ठी/कार्यक्रम फीस	—	—
4) परामर्शदात्री फीस	—	—
5) अन्य (निर्दिष्ट करें)	—	—
कुल	—	—



स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/07/2014

यशवन्त एस भावे
अध्यक्ष

आलोक शेखर
सचिव

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आय और व्यय खाते की अनुसूची 31.03.2014 की स्थिति

(राशि - रुपए)

अनुसूची 15	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
निवेश से आय		
निर्धारित/बंदोबस्ती/निधि से निवेश पर आय का निधि में अन्तरण	—	—
1. ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	—	—
ख) अन्य बांड्स/डिबेंचर	—	—
2. लामाशं		
क) शेयर पर	—	—
ख) म्यूचुअल फंड सिक्योरिटी पर	—	—
3. किराया	—	—
4. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		
निर्धारित/बंदोबस्ती धन को हस्तारित		
अनुसूची 16	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		
1) रॉयल्टी से आय	—	—
2) प्रकाशनों से आय	—	—
3) अन्य (निर्दिष्ट करें)	—	—
कुल		
अनुसूची 17	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अर्जित ब्याज		
1. सावधि जमाराशियों पर		
क) अनुसूचित बैंकों के पास	—	—
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के पास	—	—
ग) संस्थाओं के पास	—	—
घ) अन्य	—	—
2. बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैंकों के पास	—	—
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के पास	—	—
ग) संस्थाओं के पास	—	—
घ) अन्य	—	—
3. ऋणों पर		
क) कर्मचारी/स्टाफ	—	—
ख) अन्य	—	—
4. देनदार और अन्य प्राप्य राशियों पर ब्याज	—	—
कुल		

नोट : - टीडीएस को दर्शाया जाए।



स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20/04/2014

यशवन्त एस भावे
अध्यक्ष

आलोक शेखर
आलोक शेखर
सचिव

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आय और व्यय खाते की अनुसूची 30.03.2014 की स्थिति

(राशि - रूपए)

अनुसूची 18 -	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अन्य आय		
1. संपत्ति की बिक्री/निपटान पर लाभ:	—	—
क) स्वामित्व वाली संपत्तियां	—	—
ख) अनुदान से अधिग्रहण, या निशुल्क प्राप्त संपत्ति	—	—
2. निर्यात प्रोत्साहन से प्राप्तियां	—	—
3. विविध सेवाओं के लिए फीस (टेन्डर फीस)	9,445.00	7,280.00
4. विविध आय	—	10,000.00
कुल	9,445.00	17,280.00
अनुसूची 19	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
स्टाक में तैयार माल और तैयार किए जा रहे माल में वृद्धि/कमी		
क) क्लोजिंग स्टॉक		
निर्मित माल	—	—
तैयार किया जा रहा माल	—	—
ख) घटाएं - आरंभिक स्टॉक		
निर्मित माल	—	—
तैयार किया जा रहा माल	—	—
निवल वृद्धि/(कमी) (क - ख)		
अनुसूची 20	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
स्थापना व्यय		
क) वेतन और मजदूरी	1,45,56,978.00	1,18,62,737.00
ख) भत्तों और बोनस	5,74,115.00	8,45,281.00
ग) भविष्य निधि में अंशदान	—	—
घ) अन्य कोष में अंशदान (निर्दिष्ट करें)	—	—
ङ) विविध खर्च	1,06,000.00	1,25,000.00
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ पर खर्च	—	—
छ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	—	—
कुल	1,52,37,093.00	1,28,33,018.00



स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/04/2014

यशवन्त एस भावे
अध्यक्ष

आनंद शेर
आलोक शेखर
सचिव

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आय और व्यय खाते की अनुसूची 31.03.2014 की स्थिति

(राशि - रूपए)

अनुसूची 21	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		
1. खरीद	—	—
2. श्रम और प्रसंस्करण खर्च	—	—
3. ढुलाई और माल भाड़ा	—	—
4. बिजली और ऊर्जा	14,98,685.00	48,38,231.00
5. जल प्रभार	—	—
6. बीमा	—	—
7. मरम्मत और अनुरक्षण	2,78,457.00	23,94,402.00
8. उत्पाद शुल्क	—	—
9. किराया, दर और कर	66,88,786.00	62,12,922.00
10. वाहन, मरम्मत और अनुरक्षण	—	—
11. डाक, टेलिफोन और संचार प्रभार	11,98,884.00	15,94,608.00
12. मुद्रण तथा लेखन सामग्री	6,95,069.00	6,11,577.00
13. यात्रा और वाहन खर्च	35,17,729.00	31,85,775.00
14. स्टैक होल्डर बैठक/संगोष्ठी और कार्यशाला पर खर्च	1,02,944.00	86,016.00
15. सदस्यता खर्च	—	—
16. वैब डिजाइन और विकास खर्च	5,06,306.95	4,69,055.25
17. लेखा परीक्षकों का पारिश्रामिक	—	30,337.00
18. अतिथि प्रभार	—	—
19. व्यवसायिक प्रभार	—	—
20. बैंड और संदिग्ध ऋण/अग्रिम के लिए प्रावधान	1,36,66,897.00	1,38,07,579.00
21. अप्रतिलभ्य शेष बट्टे खातों में डाले गए	—	—
22. पैकिंग प्रभार	—	—
23. माल भाड़ा और अग्रेषण खर्च	—	—
24. वितरण खर्च	—	—
25. विज्ञापन और प्रचार	—	—
26. अन्य (हाऊस कीपिंग तथा सुरक्षा कार्यालय व्यय आदि)	1,46,201.00	49,351.00
	1,14,42,606.00	1,57,48,445.00
कुल	3,97,42,564.95	4,97,98,298.25
अनुसूची 22	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुदान/सब्सिडी आदि पर व्यय		
क) संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान	—	—
ख) संस्थानों/संगठनों को दी गई सहायता	—	—
कुल	—	—
अनुसूची 23	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ब्याज		
क) सावधि ऋणों पर	—	—
ख) अन्य ऋण (बैंक प्रभार सहित)	—	—
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	—	—
कुल	—	—



स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/04/2014

यशवन्त एस भावे
अध्यक्ष

आलोक शेखर
सचिव

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

31.03.2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के खातों की अनुसूची
अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखा रूपांतरण

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के आधार पर तैयार कर रहे हैं, जब तक अन्यथा लेखांकन के प्रोद्घवन विधि पर कहा गया हो।

2. वस्तु सूची मूल्यांकन – लागू नहीं

3. निवेश – लागू नहीं

4. उत्पाद शुल्क – लागू नहीं

5. अंचल संपत्ति

5.1 अंचल संपत्ति अधिग्रहण की लागत पर दर्शायी जाती है इस में लाने का भाड़ा, शुल्क और कर तथा अनुषंगिक खर्च शामिल हैं तथा अधिग्रहण से संबंधित प्रत्यक्ष खर्च में लाने का भाड़ा, शुल्क और खर्च तथा प्रत्यक्ष खर्च शामिल है। निर्माण से संबंधित परियोजनाओं, कार्यात्मक खर्च से पहले के खर्च (इसमें विशिष्ट परियोजना के पूरा होने से पूर्व इसके लिए ऋणों के ब्याज सहित) शामिल किए गए हैं और यह पूंजीकृत संपत्तियों के मूल्य का भाग बनता है।

5.2 गैर – मौद्रिक अनुदान के रूप में प्राप्त अंचल संपत्ति के संबंध में (कार्प्स निधि को छोड़कर) पूंजी आरक्षित के लिए तदनुसार करके बने मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है।

6 मूल्यहास

6.1 मूल्यहास की व्यवस्था आयकर अधिनियम 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधे लाईन पद्धति के आधार पर की जाती है। जो अंचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा देयताओं में परिवर्तन के कारण किए जाने वाले लागत समायोजन पर मूल्यहास जोकि संबंधित संपत्तियों के अवशिष्ट आयु पर परिशोधन को छोड़कर बनती है।

6.2 5,000/- रुपये की संपत्ति या कम प्रत्येक के लिए अधिग्रहण के वर्ष से पूरी तरह से मूल्यहास किया जाता है।

7. विविध व्यय – शून्य

8. बिक्री के लिए लेखांकन – लागू नहीं

9 सरकारी अनुदान/सब्सिडी

- 9.1 परियोजना की स्थापना की पूंजी लागत के लिए योगदान के रूप सरकारी अनुदान पूंजी आरक्षित के रूप में माना जाता है।
- 9.2 अधिग्रहित की गई विशिष्ट अचल संपत्ति के संबंध में अनुदान संबंधित संपत्तियों की लागत से कटौती के रूप में दर्शाया जाता है।
- 9.3 सरकारी अनुदान/सब्सिडी प्राप्ति के आधार पर लेखांकित की जाती है।

10 विदेशी मुद्रा लेनदेन

- 10.1 विदेशी मुद्रा में किए गए लेन – देन, मुद्रा लेन-देन की तारीख को विद्यमान दर पर किए जाते हैं।
- 10.2 वर्तमान संपत्ति विदेशी मुद्रा ऋण और मौजूदा देनदारियों की मुद्रा के रूप में वर्ष के अंत में प्रचलित दर पर परिवर्तित करते हैं और परिणामी लाभ/हानि को अचल संपत्ति की लागत के लिए समायोजित किया जाता है। अगर विदेशी मुद्रा देयता अचल संपत्ति से संबंधित है और अन्य मामलों में राजस्व करने के लिए माना जाता है।

11 पट्टा (लीज)

- 11.1 लीज डीड एयर इंडिया द्वारा अनुमोदित की गई है और दिनांक 6 अगस्त, 2013 के एफ संख्या ऐरा/10015/ऑफिस रेंट-एयर इंडिया/2012 द्वारा जारी की गई।

12 सेवानिवृत्त लाभ –

- 12.1 प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है। एफ. आर. 115 (क) और 115 (ख) के उपबंधों के अनुसार इन अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित छुट्टी/वेतन अंशदान तथा पेन्शन अंशदान के रूप में राशि को वित्त वर्ष 2013-14 तक आहरित करके अदा कर दिया गया है। इस राशि को बाद में प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों/कर्मचारियों के मूल संगठनों के संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है।
- 12.2 प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य नई पेंशन योजना में अंशदान के लिए पात्र हैं। 2013 तक प्राधिकरण एनपीएन के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं था। अब एनपीएस के अधीन प्राधिकरण के रजिस्ट्रेशन के बाद मार्च, 2014 तक अध्यक्ष और सदस्यों के संबंध में सरकारी अंशदान की बकाया राशि जमा करवा दी गई है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/07/2014

यशवन्त एस भावे
अध्यक्ष

आलोक शेखर
आलोक शेखर
सचिव



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

31.3.2014 को समाप्त वर्ष के खातों की अनुसूची

अनुसूची-25-खातों पर आकास्मिक देनदारियों पर टिप्पणियां

1. आकास्मिक देयताएं	शून्य	
2. पूंजी प्रतिबद्धताएं	शून्य	
3. <u>लीज दायित्व</u> : लीज किराए को अंतिम रूप दे दिया गया है।		
4. <u>वर्तमान संपत्ति ऋण और अग्रिम</u> : प्रबंधन के विचार में वर्तमान संपत्तियां, ऋण और अग्रिमों का मूल्य लेन-देन के सामान्य क्रिया-कलापों में प्राप्त किया जाने वाला मूल्य होता है और यह बैलेंस शीट में दर्शायी गयी समग्र राशि के बराबर होता है।		
5. <u>कराधान</u> : आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कोई भी आय कर योग्य नहीं है, इसलिए आयकर के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है।		
6. <u>विदेशी मुद्रा लेन-देन</u>	<u>चालू वर्ष</u>	<u>पिछला वर्ष</u>
6.1 सीआईएफ आधार पर हिसाब लगाए गए आयातों का मूल्य	शून्य	शून्य
6.2 <u>विदेशी मुद्रा में खर्च</u>		
क) यात्रा	शून्य	2,41,671.00
ख) वित्तीय संस्थानों/बैंकों को विदेशी मुद्रा में प्रेषण और ब्याज की अदायगी	शून्य	शून्य
ग) अन्य व्यय	शून्य	शून्य
— बिक्री पर कमीशन	शून्य	शून्य
— कानूनी और व्यावसायिक खर्च	शून्य	शून्य
— विविध व्यय	शून्य	शून्य
6.3 <u>आय</u> : एफओबी पर निर्यात का मूल्य	शून्य	शून्य
7. <u>लेखा परीक्षकों को फीस</u> : लेखा परीक्षकों के लिए	शून्य	7,70,000 (वित्त वर्ष 2010-11 के लिए 5,20,000.00 रूपए सहित)
— कराधान मामले		
— प्रबंधन सेवाओं के लिए		
— प्रमाणिकरण के लिए		
अन्य	शून्य	शून्य

8. संलग्न की गई अनुसूची 1 से 25, 31.3.2014 को समाप्त वर्ष की बैलेंस शीट और उसी तारीख को समाप्त आय और व्यय खाते के एकीकृत भाग है।
9. पिछले वर्ष की तदानुरूपी रकमों को उसी ग्रुप में/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/07/2014

यशवन्त एस भावे
अध्यक्ष

आलोक शेखर
आलोक शेखर
सचिव



दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) के लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

हमने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के नियम 35 (2) के साथ पठित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) की संलग्न बैलस शीट और आय/व्यय का लेखा/प्राप्तियां तथा अदायगियों का लेखा का ऑडिट किया है। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी ऐरा प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार देने की है।

2. पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सर्वश्रेष्ठ लेखा पद्धतियों, लेखा के मानदंडों और प्रस्तुत करने के मानदंडों आदि के अनुरूप वर्गीकरण के संबंध में केवल लेखा प्रणालियों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और उपयुक्तता) और कार्यकुशलता तथा कार्यनिष्पादन के पहलुओं आदि, यदि कोई हो, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखा परीक्षा की टिप्पणियां अलग से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्टों में दी जाती हैं।

3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा मानदंडों के अनुरूप अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानदंडों में यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमने लेखा परीक्षा की योजना बनायी है और लेखा परीक्षा की है कि क्या इन वित्तीय ब्यौरों में कोई बड़ी कमी (मैट्रिरियल मिसस्टेटमेंट) तो नहीं है। इसमें जांच के आधार पर परीक्षण, राशियों के सर्मथन में कागजात तथा वित्तीय ब्यौरों की लेखा परीक्षा शामिल है। इस लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए आकलनों तथा वित्तीय ब्यौरों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हम यह मानते हैं कि हमारे विचार, हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षा के आधार पर है।

1. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट देते हैं :

- (i) हमने सभी प्रकार की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक है।
- (ii) रिपोर्ट के लिए देखी गई बैलस शीट और आय और व्यय का लेखा/प्राप्ति और अदायगी का लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्वरूप में ही रखा गया है।
- (iii) ऐसी लेखा बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से स्पष्ट होता है कि ऐरा अधिनियम, 2008 के नियम 35 (1) के अंतर्गत अपेक्षित रूप से ऐरा द्वारा लेखा बहियों और अन्य संबद्ध रिकार्ड को रखा जाता है।

(iv) हम आगे रिपोर्ट देते हैं कि :

लेखों पर टिप्पणियां

क. बैलस शीट

(1) कॉर्प्स/पूंजी निधि और देनदारियां

(1.1) कॉर्प्स/पूंजी निधि (अनुसूची-1)-131.41 लाख रुपए

53.11 लाख रुपए (निवल) की राशि पिछले वर्ष से संबंधित थी। जिसे निम्नलिखित के कारण कॉर्प्स/पूंजी निधि में से समायोजित किया गया।

(लाख रुपए)

क.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा मरम्मत और अनुरक्षण हेतु लिए गए अधिक खर्च का निराकरण	21.31
ख.	एयर इंडिया द्वारा दावा किए गए अधिक खर्च का निराकरण	45.38
ग.	एयर इंडिया से लीज पर लिए गए भवन का किराया लेना	(-) 12.03
घ.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा मरम्मत और अनुरक्षण की शेष राशि को लेना	(-) 1.55

चूंकि उपर्युक्त समायोजन पिछले वर्ष 2012-13 से संबंधित थे, इसलिए इन्हें कॉर्प्स/पूंजी निधि में समायोजित करने के स्थान पर आय और खर्च के खाते में पिछली अवधि के समायोजन खाते में दिखाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 'आय से अधिक खर्च' के रूप में 53.11 लाख रुपए दिखाए गए हैं।

(1.2) वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची-7) -229.51 लाख रुपए

निम्नलिखित के कारण 429.91 लाख रुपए की राशि कम दिखाई गयी हैं।

(लाख रुपए)

क.	एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा ऐरा के कर्मचारियों को मुहैया कराए गए हवाई जहाज के टिकटों के कारण देनदारी के लिए व्यवस्था न करना	3.96
ख.	वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए ऑडिट फीस की देनदारी के लिए व्यवस्था न करना	8.75
ग.	वर्ष 2010-11 से वर्ष-2013-14 तक की अवधि के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ली गई जन सेवाओं के कारण देनदारी के लिए व्यवस्था न करना	421.49
घ.	एयर इंडिया से लीज पर लिए गए भवन के लिए देय किराए की देनदारी के लिए अधिक व्यवस्था करना	(-) 4.29
	कुल	429.91

इसके परिणामस्वरूप 429.91 लाख रुपए का आय से अधिक खर्च नहीं दिखाया गया है।

(2) संपत्ति

वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि (अनुसूची-11)

ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्ति—47.96 लाख रुपए

उपर्युक्त राशियों में वित्त वर्ष 2012-13 के लिए ऐरा भवन में विद्युत और सिविल कार्यों के अनुरक्षण के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अग्रिम रूप से दी गई 36.42 लाख रुपए की राशि शामिल है। चूंकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने ये सेवाएं पहले ही वर्ष 2012-13 में ऐरा को दे दी गई हैं और इसके लिए उन्होंने बिल भी भेज दिए हैं। इसलिए इस राशि को अग्रिम अदायगियां न दिखाकर भारित कर दिया जाना चाहिए था। इसके फलस्वरूप 'ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्ति' शीर्ष में 36.42 लाख रुपए की राशि अधिक दिखाई गई है। जिसके परिणाम स्वरूप इसी राशि को 'आय से अधिक खर्च' में नहीं दिखाया गया है।

इस मामले को वर्ष 2012-13 में उठाया गया था किंतु कोई भी उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ख आय और व्यय खाता

व्यय

मूल्यह्रास (अनुसूची-8) — 56.87 लाख रुपए

लीज अवधि की शेष अवधि के लिए तदनुरूपी 11.76 प्रतिशत की दर के स्थान पर लीज होल्ड अवधि पर 10 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास भारित करने के कारण उपर्युक्त 11.40 लाख रुपए की राशि (पिछली अवधि से संबंधित 7.60 लाख रुपए सहित) कम दिखायी गई है। इसके फलस्वरूप इतनी ही राशि 'आय से अधिक खर्च' कम दिखायी गई है।

इस मामले को वर्ष 2012-13 में उठाया गया था किंतु कोई भी उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ग. सहायता अनुदान

वर्ष 2013-14 के दौरान, ऐरा को नागर विमानन मंत्रालय से 570.00 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। इसके पास पिछले वर्ष की बची हुई राशि 0.43 लाख रुपए थी। 570.43 लाख रुपए के कुल अनुदान में से ऐरा 542.67 लाख रुपए ही खर्च कर सका, जिसके फलस्वरूप 27.76 लाख रुपए की राशि शेष रह गई।

घ. प्रबंधन पत्र

- (i) अलग से ऑडिट रिपोर्ट में शामिल न की गई कमियों को उपचारात्मक कार्यवाही तथा सही करने के लिए प्रबंधन पत्र जारी करके ऐरा के प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।
- (ii) उपर्युक्त पैराग्राफों में की गई हमारी टिप्पणियों के रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि बैलंस शीट और आय-व्यय खर्च का लेखा/प्राप्ति और अदायगी का लेखा जिसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है, लेखा की बहियों के अनुसार है।
- (iii) हमारे विचार में तथा हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा नीतियों तथा लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण व उपर्युक्त दर्शित महत्वपूर्ण मामले इस अलग लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लेखित अन्य मुद्दों के रहते हुए भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा प्रणालियों के अनुरूप है तथा यह सही स्थिति को दर्शाते हैं :

- क. यह भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के मामलों से संबंधित दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार बैलस शीट से संबंधित है।
- ख. उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखों से संबंधित है।

भारत के सीएजी के लिए और उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 मार्च, 2015

ह/-
(विमलेन्द्र पटवर्धन)
प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ कॉमर्शियल ऑडिट
एंड एक्स-ऑफिसिओ मेम्बर, ऑडिट बोर्ड I,
नई दिल्ली

अनुबंध

1	आंतरिक लेखा प्रणाली की पर्याप्तता	प्राधिकरण में कोई भी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है।
2	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	निम्नलिखित के कारण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है: (क) एलटीसी अग्रिम को अग्रिम के रूप में न दिखा कर खर्च के रूप में दिखाया जाता है। (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को मरम्मत और अनुरक्षण कार्य के लिए दिए गए 8.95 लाख रूपए के अग्रिम को अग्रिम खाते से न हटाना; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 7.40 लाख रूपए के अग्रिम की प्राप्ति की पुष्टि की है और शेष 1.54 लाख रूपए की राशि पिछले वर्षों में समायोजित की गई है।
3	अचल संपत्तियों का वास्तविक प्रमाणिकरण की प्रणाली	टेस्ट चैक से पता लगा कि रजिस्टर में सभी आवश्यक जानकारी नहीं है अर्थात् बिल नम्बर, तारीख, परिसंपत्ति का स्थान आदि। इसके अतिरिक्त अचल संपत्तियों की वास्तविक जांच के लिए 3 अधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी, किंतु रिपोर्ट पर केवल 1 सदस्य के हस्ताक्षर थे। इसके अतिरिक्त यह जांच वर्ष 2013-14 के दौरान जोड़ी गई परिसंपत्तियों तक ही सीमित थी।
4	वस्तु सूची (इनवेन्ट्री) का वास्तविक प्रमाणीकरण	कोई भी वस्तु सूची नहीं थी।
5	उन पर लागू साविधिक देयताओं की अदायगी में नियमितता	टेस्ट चैक के दौरान यह पाया गया कि आई टी एक्ट, 1961 के प्रावधानों के विपरीत टीडीएस को जमा कराने में देरी हुई है।

दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) के लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर प्रबंधन का उत्तर।

क. सं.	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्राधिकरण का उत्तर
क 1. 1.1	<p><u>बैलस शीट</u> <u>कॉर्प्स/पूँजी निधि की देनदारियां:</u> <u>कॉर्प्स/पूँजी निधि (अनुसूची-1) - 131.41 लाख रुपए</u> पिछले वर्ष से संबंधित 53.11 लाख रुपए (निवल) की राशि निम्नलिखित मदों के कारण कॉर्प्स/पूँजी निधि में से समायोजित की गई:</p> <p>(i) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा मरम्मत और अनुरक्षण खर्च के लिए भारित अधिक राशि का निराकरण- 21.31 लाख रुपए</p> <p>(ii) एयर इंडिया द्वारा दावा किए गए खर्च से अधिक राशि का निराकरण- 45.38 लाख रुपए</p> <p>(iii) एयर इंडिया से लीज पर लिए गए स्थान के किराए को देना - (-) 12.03 लाख रुपए</p> <p>(iv) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण किए गए मरम्मत और अनुरक्षण कार्य की शेष राशि को लेना- (-) 1.55 लाख रुपए</p> <p>उपर्युक्त समायोजन पिछले वर्ष अर्थात् 2012-13 से संबंधित थे, इन्हें कॉर्प्स/पूँजी निधि दिखाने के स्थान पर आय और खर्च खाते के अंतर्गत पिछली अवधि के समायोजन के खाते में दिखाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 53.11 लाख रुपए का खर्च आय से अधिक खर्च में दिखाया गया है।</p>	<p>ऑडिट की इस टिप्पणी को नोट कर लिया गया है और भविष्य में समायोजन, यदि कोई होंगे उन्हें ऑडिट द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा।</p>
1.2	<p><u>वर्तमान देनदारियां और प्रावधान</u> <u>(अनुसूची-7) - 229.51 लाख रुपए</u> निम्नलिखित के कारण 429.91 लाख रुपए की राशि कम दिखायी गई है:</p> <p>(i) एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा ऐरा के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई हवाई जहाज की टिकटों के लिए देनदारियों की व्यवस्था न करना-3.96 लाख रुपए</p>	<p>i) घरेलु यात्रा के लिए 5.93 लाख रुपए की राशि के बिल मार्च 2013 में प्राप्त हुए थे। तदनुसार 6 लाख रुपए की देनदारी की व्यवस्था की गई थी। तथापि 4,03,333 रुपए की राशि के बिल वर्ष 2014-15 में प्राप्त हुए। इस कारण से इन बिलों की देनदारी के लिए व्यवस्था नहीं की जा सकी और कुल 6 लाख रुपए की देनदारी की व्यवस्था की गई। तथापि ऑडिट की इस टिप्पणी को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।</p>

<p>(ii) वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए ऑडिट फीस की देनदारी के लिए व्यवस्था न करना - 8.75 लाख रुपए</p> <p>(iii) वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ली गई जन सेवाओं के लिए देनदारी की व्यवस्था न करना- 421.49 लाख रुपए</p>	<p>(ii) वर्ष 2010-11 और 2011-12 की ऑडिट फीस के लिए सीएजी से 7.19 लाख रुपए की राशि की मांग की गई, जिसके लिए लेखा पुस्तकों में 7.70 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए ऑडिटों की दी जाने वाली राशि की व्यवस्था 2014-15 के लेखों में की जाएगी।</p> <p>(iii) प्राधिकरण को वर्तमान में नागर विमानन मंत्रालय के बजट के अंतर्गत सहायता अनुदान के रूप में राशि प्राप्त हो रही है, जो प्राधिकरण की देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्राधिकरण में लोन के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से जन शक्ति प्राप्त करने तथा वास्तविक आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के पास सैद्धांतिक रूप से गया भेजा है। सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर सहमति देने के बाद सहायता अनुदान में और अधिक राशि की व्यवस्था की जाएगी और प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उनसे लोन के आधार पर लिए गए कर्मचारियों के खर्च को पूरा करेगा। उस समय तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए वेतन आदि की व्यवस्था ऐसा के लेखा खातों में करने से प्राधिकरण का बजटीय घाटा और बढ़ जाएगा और इसकी देनदारियां आगे बढ़ती जाएगी।</p>
<p>(iv) एयर इंडिया लिमिटेड को देय लीज किराया के कारण देनदारी की अधिक व्यवस्था-(-) 4.29 लाख रुपए। इसके परिणामस्वरूप 429.91 लाख रुपए को 'आय से अधिक खर्च' में नहीं दिखाया गया।</p>	<p>(iv) 2010-11 से लीज पर लिए स्थान के लिए देनदारियों की समीक्षा करते समय 2011-12 में निर्धारित की गई 4,29,478/- रुपए की राशि को खाते में नहीं लिया गया और 7,73,977/-रुपए के स्थान पर कुल 12,03,455/-रुपए की देनदारी निर्धारित की गई। इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान देनदारी से 4,29,478/- रुपए अधिक राशि दिखाई गई। इसे नोट कर लिया गया और 2014-15 के वार्षिक खातों में इसे समायोजित किया जाएगा।</p>

2.	<p>संपत्ति: वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि (अनुसूची-11) : ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्ति— 47.96 लाख रुपए</p> <p>वित्त वर्ष 2012-13 के लिए ऐरा भवन में विद्युत और सिविल कार्यों के अनुरक्षण के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को दी गई 36.42 लाख रुपए की अग्रिम राशि इसमें शामिल है। चूंकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पहले ही ऐरा को सेवाएं मुहैया करा दी हैं और इतनी ही राशि को अग्रिम अदायगी के रूप में दिखाया है। इसके फलस्वरूप 'ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्ति' में 36.42 लाख रुपए अधिक दिखाए गए हैं और 'आय के मुकाबले अधिक खर्च' में इतनी ही राशि कम दिखाई गई है। यह टिप्पणी वर्ष 2012-13 में भी की गई थी किंतु कोई भी उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</p>	<p>अनुरक्षण कार्यों के लिए अग्रिम अदायगी के रूप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 36.42 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ अंतिम बिल प्रस्तुत करने के मामले पर विचार किया गया है। इसके बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 2013-14 अनुरक्षण कार्यों से संबंधित सभी जरूरी बिल भेज दिए। इसके अनुरूप दी गई अग्रिम राशि के संबंध में आवश्यक समायोजित की गई राशि की अदायगी की गई।</p>
ख	<p>आय और व्यय खाता खर्च: मूल्यव्यय (अनुसूची-8) 56.87 लाख रुपए</p> <p>लीज अवधि की शेष अवधि के लिए तदनुसूची 11.76 प्रतिशत की दर के स्थान पर लीज होल्ड अवधि पर 10 प्रतिशत की दर से मूल्यव्यय भारित करने के कारण उपर्युक्त 11.40 लाख रुपए की राशि (पिछली अवधि से संबंधित 7.60 लाख रुपए सहित) कम दिखायी गई है। इसके फलस्वरूप इतनी ही राशि 'आय से अधिक खर्च' कम दिखायी गई है। इस मामले को वर्ष 2012-13 में उठाया गया था किंतु कोई भी उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</p>	<p>प्राधिकरण संपत्तियों के उपयोग की अवधि के आधार पर लीजहोल्ड इंप्रूवमेंट पर मूल्यव्यय लगाता है न कि लीज अवधि के आधार पर। तथापि ऑडिट की टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है और किए गए मूल्यव्यय की समीक्षा की जाएगी।</p>
ग	<p>सहायता अनुदान</p> <p>वर्ष 2013-14 के दौरान ऐरा को नागर विमानन मंत्रालय से 570.00 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। इसके पास पिछले वर्ष की बची हुई राशि 0.43 लाख रुपए थी। 570.43 लाख रुपए के कुल अनुदान में से ऐरा 542.67 लाख रुपए ही खर्च कर सका, जिसके फलस्वरूप 27.76 लाख रुपए की राशि शेष रह गई।</p>	<p>वित्त वर्ष 2012-13 की समाप्ति पर, ऐरा के पास खर्च न की गई 0.43 लाख रुपए की शेष राशि थी। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान ऐरा को 570.00 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। जिससे कुल उपलब्ध अनुदान राशि 570.43 लाख रुपए हो गई। इस 570.43 लाख रुपए की राशि में से ऐरा 542.67 लाख रुपए ही खर्च कर सका, जिसके फलस्वरूप वित्त वर्ष 2013-14 के अंत में ऐरा के पास 27.76 लाख रुपए की राशि शेष रह गई। 27.76 लाख रुपए की शेष राशि 2014-15 के लिए सहायता अनुदान के खाते में डाली गई है।</p>
घ 1.	<p>अलग ऑडिट रिपोर्ट के अनुबंध आंतरिक ऑडिट प्रणाली की पर्याप्तता: प्राधिकरण में आंतरिक ऑडिट प्रणाली की कोई व्यवस्था नहीं है।</p>	<p>ऐरा में कर्मचारियों की सीमित संख्या को देखते हुए आंतरिक ऑडिट की व्यवस्था नहीं की जा सकी। प्राधिकरण की आंतरिक ऑडिटिंग नागर विमानन मंत्रालय द्वारा की जानी है और मंत्रालय द्वारा शीघ्र ही आंतरिक ऑडिटिंग करने की संभावना है।</p>

2.	<p>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता: चूंकि निम्नलिखित कमियां पाई गई हैं इसलिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है:</p> <p>(क) कर्मचारियों को एलटीसी अग्रिम देने के मामले में, इसे अग्रिम के रूप में दिखाने के स्थान पर व्यय के रूप में दिखाया गया है।</p> <p>(ख) लेखा पुस्तकों के अनुसार मरम्मत और अनुरक्षण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 8,95,003/- रूपए अग्रिम के रूप में दिए गए दिखाए गए हैं। जबकि संबंधित विभाग और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले वर्ष से संबंधित 1.54 लाख रूपए की राशि का समायोजन करने के बाद 7,40,223/- रूपए की राशि अग्रिम के रूप में प्राप्त होने की पुष्टि की गई है।</p>	<p>(क) ऑडिट की इस टिप्पणी को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।</p> <p>(ख) अनुरक्षण कार्य के लिए पूर्व अदायगी के रूप में 36.42 लाख रूपए की राशि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को दी गई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ अंतिम बिल प्रस्तुत करने के मामले पर विचार किया गया है। इसके बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 2013-14 के अनुरक्षण कार्यों से संबंधित सभी जरूरी बिल भेज दिए। इसके अनुरूप 2012-13 और 2013-14 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को दिए गए अग्रिमों के संबंध में आवश्यक समायोजन 2014-15 के खातों में किए जाएंगे।</p>
3	<p>अचल संपत्तियों के वास्तविक प्रमाणिकरण की प्रणाली:</p> <p>टेस्ट चैक से पता लगा कि रजिस्टर में सभी आवश्यक जानकारी नहीं है अर्थात् बिल नम्बर, तारीख, परिसंपत्ति का स्थान आदि। इसके अतिरिक्त अचल संपत्तियों की वास्तविक जांच के लिए 3 अधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी, किंतु रिपोर्ट पर केवल 1 सदस्य के हस्ताक्षर थे। इसके अतिरिक्त यह जांच वर्ष 2013-14 के दौरान जोड़ी गई परिसंपत्तियों तक ही सीमित थी।</p>	<p>इसको भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है और अचल संपत्तियों की कमी/अधिकता को देखने के लिए कार्रवाई की जाएगी और इसके बाद प्रमाणिकरण का कार्य चालू वित्त वर्ष में किया जाएगा। इस रिपोर्ट पर समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।</p>
4	<p>वस्तु सूची (इनवेन्ट्री) का वास्तविक प्रमाणीकरण कोई भी वस्तु सूची नहीं थी।</p>	<p>चूंकि प्राधिकरण में कोई भी वस्तु सूची की सामग्री नहीं है, इसलिए प्राधिकरण द्वारा कोई भी वस्तु सूची नहीं बनाई जाती।</p>
5	<p>उन पर लागू सांविधिक देयताओं की अदायगी में नियमितता</p> <p>टेस्ट चैक के दौरान यह पाया गया कि आईटी एक्ट, 1961 के प्रावधानों के विपरीत टीडीएस को जमा कराने में देरी हुई है। वर्ष के अंत (मार्च, 2014) लेखा पुस्तकों में जमा की गई राशियों के मामले में कर को दिनांक 30 अप्रैल, 2014 तक केन्द्रीय सरकार को जमा करा दिया जाना चाहिए था।</p>	<p>प्राधिकरण बजट में से की गई अदायगियों पर कर काटता है और केन्द्र सरकार के पास जमा कराता है। लेखा पुस्तकों में जमा की गई राशि सामान्य रूप से अप्रैल माह में दी जाती है और कर को मई के पहले सप्ताह में केन्द्र सरकार के पास जमा कराया जाता है। उस राशि पर कर जिसे अभी निर्धारित किया जाना है, को अदायगी के समय काटा जाता है और तदनुसार सरकार के पास जमा करा दिया जाता है।</p>

3.	<p><u>आय और व्यय का लेखा:</u> <u>व्यय — मूल्यहास:</u></p> <p>चार्टर्ड अकाउंटेंट इस्टीमेट द्वारा जारी 'मूल्यहास लेखा प्रणाली' के लेखा मानदंड 6 के उपबंधों के अनुसार लीज अवधि की शेष अवधि के तदनु रूप 11.76 प्रतिशत की दर के मुकाबले लीज होल्ड इंप्रूवमेंट पर 10 प्रतिशत की दर से मूल्यहास करने के कारण 7.60 लाख रुपए (पिछली अवधि से संबंधित 3.80 लाख रुपए सहित) उपर्युक्त में कम दिखाया गया है। इसके फलस्वरूप 'आय से अधिक खर्च' में इतनी ही राशि नहीं दिखायी गई।</p>	<p>प्राधिकरण संपत्तियों के उपयोग की अवधि के आधार पर लीजहोल्ड इंप्रूवमेंट पर मूल्यहास लगाता है न कि लीज अवधि के आधार पर।</p>
4.	<p><u>आंतरिक लेखा प्रणाली की पर्याप्तता:</u> आंतरिक लेखा प्रणाली को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।</p>	<p>सीएजी की टिप्पणी को नोट कर लिया गया है।</p>
5	<p><u>अचल संपत्तियों का वास्तविक प्रमाणीकरण की प्रणाली:</u> स्टाक रजिस्टर को किसी भी अधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत नहीं किया गया और कुछ वस्तुओं के संबंध में निचले कर्मचारियों द्वारा भी प्रमाणीकृत नहीं किया गया है।</p>	<p>सीएजी की टिप्पणी को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।</p>
6.	<p><u>वस्तु सूची (इनवेन्ट्री) का वास्तविक प्रमाणीकरण:</u> कोई भी वस्तु सूची नहीं है।</p>	<p>वस्तु सूची के वास्तविक प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकरण में व्यवस्था है। तथापि सीएजी की टिप्पणी को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।</p>
7.	<p><u>उन पर लागू साविधिक देयताओं की अदायगी में नियमिता:</u> टेस्ट चैक के दौरान यह पाया गया कि टीडीएस को जमा कराने में देरी हुई है</p>	<p>सीएजी की टिप्पणी के बाद, प्राधिकरण के खातों की पुनः जांच की गई है और टीडीएस के जमा कराने में देरी का कोई भी मामला ध्यान में नहीं आया है।</p>



2013 - 2014

Objective & Function

The Airports Economic Regulatory Authority (AERA) is a statutory body constituted under the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008(27 of 2008) notified vide Gazette Notification dated 5th December 2008. The AERA was established by the Government vide its notification no. GSR 317 (E) dated 12.05.2009 with its head office at Delhi.

The Statutory functions of the AERA as enshrined in the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 are as below:

(a) To determine the tariff for the aeronautical services taking into consideration -

- (i) the capital expenditure incurred and timely investment in improvement of airport facilities;
- (ii) the service provided, its quality and other relevant factors;
- (iii) the cost for improving efficiency;
- (iv) economics and viable operation of major airports;
- (v) revenue received from services other than the aeronautical services;
- (vi) the concession offered by the Central Government in any agreement or memorandum of understanding or otherwise;
- (vii) any other factor which may be relevant for the purposes of this Act:

Provided that different tariff structures may be determined for different airports having regard to all or any of the above considerations specified at sub clause (i) to (vii);

- (b) to determine the amount of the development fees in respect of major airports;
- (c) to determine the amount of the passengers service fee levied under rule 88 of the Aircraft Rules, 1937 made under the Aircraft Act, 1934;
- (d) to monitor the set performance standards relating to quality, continuity and reliability of service as may be specified by the Central Government or any authorized by it in this behalf;
- (e) to call for such information as may be necessary to determine the tariff under clause (a);
- (f) to perform such other functions relating to tariff, as may be entrusted to it by the Central Government or as may be necessary to carry out the provisions of this Act.

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2014

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
CORPUS / CAPITAL FUND	1	1,31,40,536.56	1,47,86,510.51
RESERVES AND SURPLUS	2	-	-
EARMARKED / ENDOWMENT FUND	3		
SECURED LOANS BORROWINGS	4		
UNSECURED LOANS BORROWINGS	5	-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6		
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	2,29,50,866.00	2,22,95,209.00
		3,60,91,402.56	3,70,81,719.51
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	2,65,56,197.00	3,16,90,737.00
INVESTMENT-FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUND	9		
INVESTMENT-OTHERS	10		
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	11	95,35,205.56	53,90,982.51
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (To the extent not written off or adjusted)			
		3,60,91,402.56	3,70,81,719.51
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGNET LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
as per our **Review report** of even date


For G M R & Associates
Chartered Accountants

Firm Registration No. 0244324

Rohit Sharma

Proprietor

Membership No.: 519206



On behalf of management

Yashwant S. Bhawe
Chairperson

Abulk Shekhar
Secretary

Place- New Delhi

Date- 07/07/2014

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2014

	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME			
INCOME FROM SALES / SERVICES	12		
GRANTS / SUBSIDIES	13	5,70,00,000.00	4,50,00,000.00
FEES / SUBSCRIPTIONS	14		
INCOME FROM INVESTMENTS	15		
EARMARKED / ENDOW FUND TRANSFERRED TO FUND			
INCOME FROM ROYALTY ,PUBLICATION ETC.	16		
INTEREST EARNED	17		
OTHER INCOME	18	9,445.00	17,280.00
INCREASE /(DECREASE) IN STOCK FINISHED GOODS AND WORK IN PROGRESS	19		
TOTAL (A)		5,70,09,445.00	4,50,17,280.00
EXPENDITURE			
ESTABLISHMENT EXPENSES	20	1,52,37,093.00	1,28,33,018.00
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	21	3,97,42,564.95	4,97,98,298.25
EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	22	-	-
INTEREST	23	-	-
DEPRECIATION	8	56,87,078.00	75,27,698.00
TOTAL (B)		6,06,66,735.95	7,01,59,014.25
Balance being excess of Expenditure over Income (A-B)		(36,57,290.95)	(2,51,41,734.25)
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
a) Provision for Repair & Maintenance		(30,00,000.00)	
b) Provision for Electricity		(3,00,000.00)	
Transfer to / from General Reserve			
BALANCE BEING SURPLUS /(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS /CAPITAL FUND		(69,57,290.95)	(2,51,41,734.25)
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGNET LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

The accompanying notes are an intgral part of the financial statements.
as per our **Review** report of even date

For G M R & Associates
Chartered Accountants

Firm Registration No. 024934N

Rohit Sharma
Proprietor

Membership No.: 519206



On behalf of management

Yashwant S. Bhawe
Chairperson

Alok Shekhar
Secretary

Place- New Delhi
Date-07/07/2014

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2014

				(AMOUNT -RS.)	
RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
I. Opening Balances			I. Expenses		
a) Cash in hand		-	a) Establishment Expenses	15099961.00	1,23,50,053.00
b) Bank Balances			b) Administrative Expenses	38207792.95	3,22,98,151.25
i) in current accounts	15,68,509.51	16,66,902.76	Less: Prepaid expenses of last year		-
ii) in deposit accounts		-	Less: Advance Adjustment of Airport Authority of India		-
iii) Savings accounts		-			-
II. Grants Received			II. Payment made against funds for various projects		
a) From Government of India	57000000.00	4,50,00,000.00	(Name of the fund to project should be shown along with the particulars of payments made for each project)		
b) From State Government		-			
c) From other sources(details)		-			
(grant for capital & revenue exp to be show separately)					
III. Income on Investments from			III. Investments and deposits made		
a) Earmarket/Endow.Funds		-	a) Out of Earmarket/Endowment funds		-
b) Own funds(oth.investment)		-	b) Out of Own Funds(Investments-Others)		-
IV. Interest Received			IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work -in-progress		
a) On Bank Deposits		-	a) Purchase of Fixed Assets.	552538.00	4,34,820.00
b) Loans,Advances etc.		-	b) Expenditure on Capital Work-in-progress		-
			c) Towards work in progress		-
V. Other Income (Specify)	9295.00	17,140.00	V. Refund of surplus money/Loans		
			a) To the Government of India		-
V. Other Receipt (Specify)			b) To the State Government		-
Security deposit from Bedi & bedi	30000.00	1,50,000.00	c) To the Other providers of fund		-
VI. Amount Borrowed			VI. Finance Charges		
VII. Any other receipts (give details)			a) Bank Charges	7650.00	5,111.00
Received from Ministry of Civil Aviation for Bank Account opening			b) Other Charges	700.00	1,77,398.00
VIII. Other payables			VII. Other Payments (Specify)- Prepaid Expenses		
			VIII. Closing Balances		
			a) Cash In Hand		-
			b) Bank Balances		-
			i) in current accounts	4739162.56	15,68,509.51
			ii) in deposit accounts		-
			iii) Savings accounts		-
	5,86,07,804.51	4,68,34,042.76		5,86,07,804.51	4,68,34,042.76

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
as per our Review report of even date

For G M R & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 074434N
Rohit Sharma
Proprietor
Membership No.: 519206



On behalf of management

Yashwant S. Bhawe
Chairperson

Alok Shekhar
Secretary

Place- New Delhi
Date-07/07/2014

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2014

SCHEDULE 1- CORPUS / CAPITAL FUND	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Ministry of Civil Aviation (Towards initial bank a/c opening)	-	10,000.00
Balance as at beginning of the year	1,47,86,510.51	3,99,18,244.76
Add : Adjustments to Corpus relating to previous year	66,69,552.00	-
Less : Adjustments to Corpus relating to previous year	-13,58,235.00	-
transferred from the Income and Expenditure Account	(69,57,290.95)	(2,51,41,734.25)
BALANCE AT THE END -YEAR	1,31,40,536.56	1,47,86,510.51

SCHEDULE 2- RESERVES AND SURPLUS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Capital Reserve		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less : Deduction during the year	-	-
2. Revaluation Reserve		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less : Deduction during the year	-	-
3. Special Reserve		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less : Deduction during the year	-	-
4. General Reserve		
As Per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less : Deduction during the year	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULE 3 - EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Opening Balance of Funds	-	-
b) Additions to the Funds	-	-
Total (a+b)	-	-
c) Utilisation of Funds	-	-
Total (C)	-	-
BALANCE AT THE END OF THE YEAR (a+b-c)	-	-

Significant Accounting Policies
Contingent Liabilities and Provisions on Accounts



Subject to Local Audit by the Local Audit Committee/Chartered Accountant.

Yashwant S. Bhave
Chairperson

Alok Shekhar
Secretary

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2014

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Central Government	-	-
2. State Government (Specify)	-	-
3. Financial Institutions		
a) Terms Loans	-	-
b) Interest accrued and due	-	-
4. Banks :		
a) Terms Loans	-	-
Interest accrued and due	-	-
b) Other Loans (Specify)	-	-
Interest accrued and due	-	-
5. Other Institutions and agencies	-	-
6. Debentures and bonds	-	-
7. Others (Specify)	-	-
TOTAL	-	-
Note : Amount due within one year		

SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Central Government	-	-
2. State Government (Specify)	-	-
3. Financial Institutions	-	-
4. Banks :		
a) Terms Loans	-	-
b) Other Loans (Specify)	-	-
5. Other Institutions and agencies	-	-
6. Debentures and bonds	-	-
7. Fixed Deposits	-	-
8. Others (Specify)	-	-
TOTAL	-	-
Note : Amount due within one year		

Significant Accounting Policies
Contingent Liabilities and Notes on Accounts



Subject to Local Audit by the Local Audit Committee/Chartered Accountant.

(Signature)

YASHWANT S. BHAVE
CHAIRPERSON

(Signature)

ALOK SHEKHAR
SECRETARY

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2014

SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES :	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Acceptances secured by hypothecation of capital Equipment and Assets	-	-
b) Others	-	-
TOTAL	-	-
Note : Amount due within one year		

SCHEDULE 7- CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
A) CURRENT LIABILITIES		
1. Acceptances	-	-
2. Sundry Creditors :		
a) For Goods	-	-
b) Others	-	-
3. Advances Received	-	-
4. Interest accrued but not due on :		
a) Secured Loans/ borrowings	-	-
b) Unsecured Loans/ borrowings	-	-
5. Statutory Liabilities :		
a) Over due	-	-
b) Others	-	-
6. Other Current Liabilities		
a) Duties & Taxes	19,64,561.00	14,13,941.00
b) Refundable Security Deposit	1,80,000.00	1,50,000.00
TOTAL (A)	1,96,50,866.00	2,22,95,209.00
B) PROVISIONS		
1. For Taxation	-	-
2. Gratuity	-	-
3. Superannuation/Pension	-	-
4. Accumulated Leave Encashment	-	-
5. Trade Warranties/Claims	-	-
6. Other (Specify)	-	-
a) Provision for Repair & Maintenance	30,00,000.00	
b) Provision for Electricity	3,00,000.00	
TOTAL (B)	33,00,000.00	-
TOTAL (A+B)	2,29,50,866.00	2,22,95,209.00

Significant Accounting Policies

Contingent Liabilities and Notes on Accounts



Subject to Local Audit by the Local Audit Committee/Chartered Accountant.

YASHWANT S-BHAVE
CHAIRPERSON

AJOK SHEKHAR
SECRETARY

आयकर अधिनियम के अनुसार मूल्यह्रास अनुसूची 31.03.2013 की स्थिति

अनुसूची -8

विवरण	कुल संपत्तियां				एस एल एम पर मूल्यह्रास			निवल कुल संपत्तियां		
	वर्ष की शुरुआत में लागत मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत-मूल्यांकन	वर्ष आरंभ में मौजूदा संपत्तियों पर मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान जोड़ी गई संपत्तियों पर मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान पर कटौतियां	वर्ष के लिए कुल मूल्यह्रास	31.3.2014 को स्थिति के अनुसार चालू वर्ष में	31.3.2014 की स्थिति के पिछले वर्ष में
भूमि और भवन										
लीजहोल्ड इम्प्रूवमेंट	2,16,01,055.00	—		2,16,01,055.00	43,20,212.00	21,60,106.00	—	64,80,318.00	1,51,20,737.00	1,72,80,843.00
प्लांट और मशीनरी										
लिफ्ट	26,40,361.00	—		26,40,361.00	7,93,040.00	3,96,054.00	—	11,89,094.00	14,51,267.00	18,47,321.00
फर्नीचर और फिक्सचर										
फर्नीचर और फिटिंग	12,53,119.00	11,981.00		12,65,100.00	2,31,103.00	1,25,312.00	634.00	3,57,049.00	9,08,051.00	10,22,016.00
जेनरेटर	14,16,320.00	—		14,16,320.00	4,24,896.00	2,12,448.00	—	6,37,344.00	7,78,976.00	9,91,424.00
बिजली उपकरण	66,37,991.00	—		66,37,991.00	19,91,398.00	9,95,699.00	—	29,87,097.00	36,50,894.00	46,46,593.00
कंप्यूटर/बाह्य उपकरण										
बर्फालोज टेरा स्टेशन	—	—		—	—	—	—	—	—	—
मोडम के साथ										
कंप्यूटर	53,59,570.00	1,12,226.00		54,71,796.00	52,08,693.00	1,50,877.00	7,920.00	53,67,490.00	1,04,306.00	1,50,877.00
एच.पी प्रिंटर	5,95,980.00	—		5,95,980.00	4,79,928.00	1,14,239.00	—	5,94,167.00	1,813.00	1,16,052.00
लैपटॉप	—	2,08,500.00		2,08,500.00	—	—	343.00	343.00	2,08,157.00	—
स्कैनर	9,869.00	—		9,869.00	6,083.00	3,786.00	—	9,869.00	—	3,786.00
स्विच मोडेम	—	—		—	—	—	—	—	—	—
सॉफ्टवेयर (विडियो, एंटी वायरस, आफिस)	11,35,359.00	20,225.00		11,55,584.00	8,51,217.00	2,84,026.00	8,511.00	11,43,754.00	11,830.00	2,84,142.00
यूपीएस	1,36,978.00	—		1,36,978.00	1,06,553.00	29,928.00	—	1,36,481.00	497.00	30,425.00
हार्ड ड्राइव	—	20,139.00		20,139.00	—	—	9,766.00	9,766.00	10,373.00	—
प्रोजेक्टर	—	84,375.00		84,375.00	—	—	39,390.00	39,390.00	44,985.00	—
डाटा कार्ड	—	—		—	—	—	—	—	—	—
कार्यालय के उपकरण										
ऑयल हीटर	23,023.00	—		23,023.00	6,514.00	3,453.00	—	9,967.00	13,056.00	16,509.00
फोटोकॉपीर मशीन	13,83,588.00	—		13,83,588.00	5,39,442.00	2,07,538.00	—	7,46,980.00	6,36,608.00	8,44,146.00
तिजोरी	—	—		—	—	—	—	—	—	—
कागज कटर मशीन	1,34,606.00	—		1,34,606.00	60,130.00	20,191.00	—	80,321.00	54,285.00	74,476.00
डिलीगी ह्यूमिडिफायर	—	—		—	—	—	—	—	—	—
कोर्डलेस फोन	—	—		—	—	—	—	—	—	—
पुस्तकालय की पुस्तकें	3,71,731.00	86,167.00		4,57,898.00	3,01,436.00	70,295.00	12,545.00	3,84,276.00	73,622.00	70,295.00
वेब कैमरा	—	—		—	—	—	—	—	—	—
बुक स्कैनर	28,00,000.00	—		28,00,000.00	4,23,452.00	4,20,000.00	—	8,43,452.00	19,56,548.00	23,76,548.00
कार्यालय उपकरण	17,54,685.00	8,925.00		27,63,610.00	8,19,401.00	4,13,203.00	814.00	12,33,418.00	15,30,192.00	19,35,284.00
	4,42,54,235.00	5,52,538.00	—	4,88,06,773.00	1,65,63,498.00	56,07,155.00	79,923.00	2,22,50,576.00	2,65,56,197.00	3,16,90,737.00

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/07/2014

यशवन्त एस भावे
यशवन्त

आलोक शेर
आलोक शेर

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2014

SCHEDULE 9	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS		
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and bonds	-	-
5. Subsidiaries and joint ventures	-	-
6. Others (to be Specified)	-	-
TOTAL	-	-
SCHEDULE 10	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INVESTMENTS OTHERS		
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and bonds	-	-
5. Subsidiaries and joint ventures	-	-
6. Others (to be Specified)	-	-
TOTAL	-	-

Significant Accounting Policies

Contingent Liabilities and Notes on Accounts



Subject to Local Audit by the Local Audit Committee/Chartered Accountant.


YASHWANT S BHAVE
CHAIRPERSON


ALOK SHEKHAR
SECRETARY

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2014

SCHEDULE 11	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.		
A.) CURRENT ASSETS		
1. Inventories :		
a) Stores and Spares	-	-
b) Loose Tools	-	-
c) Stock in Trade		
Finished Goods	-	-
Work-in-Progress	-	-
Raw Materials	-	-
2. Sundry Debtors :		
a) Debts Outstanding for a period exceeding Six months	-	-
b) Others	-	-
3. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)	-	-
4. Bank Balances :		
a) With Schedule Bank		
On Current Accounts (Syndicate Bank)	47,39,162.56	15,68,509.51
On Deposit Accounts (includes margin money)	-	-
On Savings Accounts	-	-
b) With non Schedule Bank		
On Current Accounts	-	-
On Deposit Accounts (includes margin money)	-	-
On Savings Accounts	-	-
5. Post Office Savings Accounts	-	-
TOTAL (A)	47,39,162.56	15,68,509.51
B.) LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1. LOANS :		
a) Staff	-	-
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity	-	-
c) Other (Specify)	-	-
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind for value to be received :		
a) On Capital Account (Airport Authority of India)		
b) Prepayments	45,40,078.00	36,45,075.00
c) Others (NCSI)	1,45,326.00	66,759.00
d) Advance payment for Foreign Tour (Staff)	1,10,639.00	1,10,639.00
3. Income Accrued :		
a) On Investments from Earmarked / Endowment Fund	-	-
b) On Investment - Others	-	-
c) On Loans and Advances	-	-
c) Others	-	-
(includes income due unrealized Rs.....)		
4. Claim Receivable :	-	-
TOTAL (B)	47,96,043.00	38,22,473.00
TOTAL (A+B)	95,35,205.56	53,90,982.51

Significant Accounting Policies
Contingent Liabilities and Notes to Accounts



Subject to Local Audit by the Local Audit Committee/Chartered Accountant.

YASHWANT S. BHAVE
CHAIRPERSON

ALOK SHIEKHAR
SECRETARY

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31.03.2014

SCHEDULE 12	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME FROM SALES / SERVICES		
1. Income from Sales		
a) Sale of Finished Goods	-	-
b) Sale of Raw Material	-	-
c) Sale of Scraps	-	-
2. Income from Services		
a) Labour & Processing Charges	-	-
b) Professional / Consultancy Services	-	-
c) Agency Commission and brokerage	-	-
d) Maintenance Services (Equipment / property)	-	-
e) Other (Specify)	-	-
TOTAL	-	-
SCHEDULE 13	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<u>INCOME GRANTS / SUBSIDIES</u>		
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)		
1. Central Government	5,70,00,000.00	4,50,00,000.00
2. State Government (s)	-	-
3. Government Agencies	-	-
4. Institutions / Welfare Bodies	-	-
5. International Organisations	-	-
TOTAL	5,70,00,000.00	4,50,00,000.00
SCHEDULE 14	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME FROM FEES / SUBSCRIPTIONS		
1. Entrance Fees	-	-
2. Annual Fees / Subscriptions	-	-
3. Seminar / Program Fees	-	-
4. Consultancy Fees	-	-
5. Others (Specify)	-	-
TOTAL	-	-

Significant Accounting Policies

Contingent Liabilities and Provisions



Subject to Local Audit by the Local Audit Committee/Chartered Accountant.

(Signature)

YASHWANT S BHAVE
CHAIRPERSON

(Signature)

ALOK SHEKHAR
SECRETARY

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31.03.2014

SCHEDULE 15		
	Current Year	Previous year
INCOME FROM INVESTMENTS		
(Income on invest. From Earmarked / Endowment fund transferred to fund)		
1. Interest		
a) On Government Securities	-	-
b) Other Bonds / Debentures	-	-
2. Dividend		
a) On Share	-	-
b) On Mutual Fund Securities	-	-
3. Rents	-	-
4. Others (Specify)	-	-
TOTAL	-	-

TRANSFERRED TO EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS

SCHEDULE 16	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.		
1. Income from Royalty	-	-
2. Income from Publications	-	-
3. Others (Specify)	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULE 17	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INTEREST EARNED		
1. On Term Deposits :		
a) With Schedule Banks	-	-
b) With non-Schedule Banks	-	-
c) With Institutions	-	-
d) Others	-	-
2. On Savings Accounts :		
a) With Schedule Banks	-	-
b) With non-Schedule Banks	-	-
c) With Institutions	-	-
d) Others	-	-
3. On Loans :		
a) Employees / Staff	-	-
b) Others	-	-
4. Interest on Debtors and other Receivables	-	-
TOTAL	-	-

Note -Tax Deducted at sources to be indicated

Significant Accounting Policies
Contingent Liabilities and Notes on Accounts



Subject to Local Audit by the Local Audit Committee/Chartered Accountant.

(Signature)
YASHWANT S. BHAVE
CHAIRPERSON

(Signature)
AJOK SHEKHAR
SECRETARY

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31.03.2014

SCHEDULE 18	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<u>OTHER INCOME</u>		
1.Profit on sale / disposal of assets :		
a) Owned assets	-	-
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost	-	-
2. Exports incentives realized	-	-
3. Fees for Miscellaneous Services (Tender Fees) List G	9,445.00	7,280.00
4. Miscellaneous Income	-	10,000.00
TOTAL	9,445.00	17,280.00
SCHEDULE 19	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<u>INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS</u>		
a).Closing Stock		
Finished Goods	-	-
Work-in-progress	-	-
b). Less : Opening Stock		
Finished Goods	-	-
Work-in-progress	-	-
NET INCREASE / (DECREASE) (A-B)	-	-
SCHEDULE 20	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<u>ESTABLISHMENT EXPENSES</u>		
a) Salaries and Wages List H	1,45,56,978.00	1,18,62,737.00
b) Allowances and Bonus List I	5,74,115.00	8,45,281.00
c) Contribution to Provident Fund	-	-
d) Contribution to other fund (Specify)	-	-
e) Miscellaneous Expenses List J	1,06,000.00	1,25,000.00
f) Expenses on Employees Retirement and Terminal benefits	-	-
g) Others (Specify)	-	-
TOTAL	1,52,37,093.00	1,28,33,018.00

Significant Accounting Policies

Contingent Liabilities and Notes on Accounts



Subject to Local Audit by the Local Audit Committee/Chartered Accountant.

[Signature]

YASHWANT S. BHAVE
CHAIRPERSON

[Signature]

ALOK SHEKHAR
SECRETARY

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31.03.2014


SCHEDULE 21	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<u>OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.</u>		
a) Purchases	-	-
b) Labour and Processing expenses	-	-
c) Cartage and Carriage Inwards	-	-
d) Electricity and Power	14,98,685.00	48,38,231.00
e) Water charges	-	-
f) Insurance	-	-
g) Repair and maintenance	2,78,457.00	23,94,402.00
h) Excise Duty		
i) Rent, Rates and Taxes List K	66,88,786.00	62,12,922.00
j) Vehicles, Running and Maintenances		
k) Postage, Telephone and Communication charges List M	11,98,884.00	15,94,608.00
l) Printing and stationery	6,95,069.00	6,11,577.00
m) Travelling and Conveyance Expenses List N	35,17,729.00	31,85,775.00
n) Expenses on Stake holder meeting /Seminar/ Workshop	1,02,944.00	86,016.00
o) Subscription Expenses	5,06,306.95	4,69,055.25
p) Web Design & Development Expenses	-	30,337.00
q) Auditors Remuneration	-	7,70,000.00
r) Hospitality Charges	-	-
s) Professional Charges List O	1,36,66,897.00	1,38,07,579.00
t) Provision for Bad and Doubtful Debts / Advances	-	-
u) Irrecoverable Balances Written off	-	-
v) Packing Charges	-	-
w) Freight and forwarding Expenses	-	-
x) Distribution Expenses	-	-
y) Advertisement and publicity	1,46,201.00	49,351.00
z) Others (House keeping & Security office Exp. Etc) List P	1,14,42,606.00	1,57,48,445.00
	3,97,42,564.95	4,97,98,298.25
SCHEDULE 22	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<u>EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.</u>		
a) Grants given to Institutions / Organisations	-	-
b) Subsidies given to Institutions / Organisations	-	-
TOTAL	-	-
SCHEDULE 23	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<u>INTEREST</u>		
a) On Fixed Loans	-	-
b) On Other Loans (Including Bank Charges)	-	-
c) Others (Specify)	-	-
TOTAL	-	-

Significant Accounting Policies
Contingent Liabilities and Notes on Accounts



Subject to Local Audit by the Local Audit Committee/Chartered Accountant.


YASHWANT S. BHAVS
CHAIRPERSON


AJOL SHEKHAR
SECRETARY

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YE 31.3.2014

SCHEDULE 24 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVERSION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, on the accrual method of accounting unless otherwise stated.

2. INVENTORY VALUATION Not Applicable

3. INVESTMENTS Not Applicable

4. EXCISE DUTY Not Applicable

5. FIXED ASSETS

5.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), form part of the value of the assets capitalized.

5.2 Fixed Assets received by way of non-monetary grants (other than towards the Corpus Fund), are capitalized at values stated, by corresponding credit to Capital Reserve.

6. DEPRECIATION

6.1 Depreciation is provided on straight-line method as per rates specified in the Income-tax Act, 1961 except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortised over the residual life of the respective assets.

6.2 Assets costing Rs. 5,000/- or less each are fully depreciated in the year of acquisition.

7. MISCELLANEOUS EXPENDITURE NIL

8. ACCOUNTING FOR SALES Not Applicable

9. GOVERNMENT GRANTS / SUBSIDIES

9.1 Government Grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up project are treated as Capital Reserve

9.2 Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as deduction from the cost of the related assets.

9.3 Government Grants / Subsidy are accounted on realization basis.

10. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- 10.1 Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.
- 10.2 Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability relates to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

11. LEASE

- 11.1 The Lease deed has been approved by Air India and issued vide F No. AERA/10015/Office Rent-Air India/2012 dated 6th Aug 2013.

12. RETIREMENT BENEFITS-

- 12.1 The Authority has Officers and Staff on roll, who have joined from different Government Organizations on Deputation. As per the provisions of FR 115 (a) & 115(b), on account of Leave Salary Contribution and the Pension contribution, in respect these Officers/Staff have been drawn up & paid up to FY 2013-14. These amounts have been subsequently sent to the concerned Offices of the Concerned Organization of the Officers/Staff on Deputation.
- 12.2 The Chairperson & Member of the Authority are eligible for Govt. contribution under New Pension Scheme. Till 2013, the Authority was not registered under NPS. Now, after registration of the Authority under NPS, arrear of Govt. contribution in r/o Chairman and Members have been paid up to March 2014.

Place: New Delhi

Dated:



(Alok shekhar)
Secretary

(Yashwant S Bhawe)
Chairperson

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE Y.E 31.3.2014

SCHEDULE 25 - CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. **CONTINGENT LIABILITIES** NIL

2. **CAPITAL COMMITMENTS** NIL

3. **LEASE OBLIGATIONS-** Lease rent has been finalized.

4. **CURRENT ASSETS LOANS AND ADVANCES**

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

5. **TAXATION**

In view of there being no taxable income under Income-tax Act 1961, no provision for Income tax has been made.

6. **FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS** **Current Year** **Previous Year**

6.1 **Value of Imports Calculated on C.I.F. Basis** NIL NIL

6.2 **Expenditure in foreign currency:**

a) Travel NIL 2,41,671.00

b) Remittances and Interest payment
to Financial Institutions/Banks
in Foreign Currency- NIL NIL

c) Other expenditure NIL NIL

-Commission on Sales NIL NIL

-Legal and Professional Expenses NIL NIL

-Miscellaneous Expenses NIL NIL

6.3 **Earnings:**

Value of Exports on FOB NIL NIL

7. **Remuneration to auditors** NIL 770000
As Auditors (Incl 520000 for
-Taxation matters F.Y. 2010-11)
-For Management services
-For certification

Others NIL NIL

8. Schedules 1 to 25 are annexed to and form and integral part of the Balance Sheet as at 31.3.2014 and the income and expenditure account for the year ended on that date.
9. Previous year figure has been regroup and rearranged.

Place: New Delhi
Dated:




(Alok shekhar)
Secretary


(Yashwant S Bhawe)
Chairperson

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Airports Economic Regulatory Authority of India for the year ended 31 March 2014

We have audited the attached Balance Sheet of Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA), New Delhi as at 31 March 2014 and Income and Expenditure Account/Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with rule 35 (2) of Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008. These financial statements are the responsibility of the AERA's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with accounting standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- (ii) The Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format as prescribed by the Ministry of Finance.
- (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Airports Economic Regulatory Authority of India as required under rule 35 (1) of AERA Act, 2008 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

COMMENTS ON ACCOUNTS

A. Balance Sheet

(1) Corpus/Capital Fund and Liabilities

(1.1) Corpus/Capital Fund (Schedule – 1) - ₹ 131.41 lakh

An amount of ₹ 53.11 lakh (net) relating to the previous year was adjusted from Corpus/Capital Fund on account of the following:

		(₹ in lakh)
a.	Reversal of excess repair & maintenance expenses charged by AAI	21.31
b.	Reversal of excess expenditure claimed by Air India	45.38
c.	Charging of rent for leased space taken from Air India	(-) 12.03
d.	Charging of balance amount of repairs and maintenance work done by AAI	(-) 1.55

As the above adjustment was relating to previous year 2012-13, the same should have been accounted for through Prior Period Adjustment Account under Income and Expenditure Account instead of adjusting against the Corpus/ Capital Fund. Resultantly, 'Excess of Expenditure over Income' is overstated by ₹ 53.11 lakh.

(1.2) Current Liabilities and Provisions (Schedule – 7) - ₹ 229.51 lakh

This is understated by ₹ 429.91 lakh on account of the following:

		(₹ in lakh)
a.	Non provision of liability on account of air tickets provided to AERA employees by Air India Limited	3.96
b.	Non provision of liability on account of audit fees for the years 2012-13 and 2013-14 -	8.75
c.	Non-provision of liability on account of manpower services availed from AAI during the period from 2010-11 to 2013-14	421.49
d.	Excess provision of liability on account of lease rent payable to Air India Limited	(-) 4.29
	TOTAL	429.91

Consequently, 'Excess of Expenditure over Income' is understated by ₹ 429.91 lakh.

(2) **Assets**

Current Assets, Loans and Advances, etc. (Schdule-11)

Loans, Advances and Other Assets - ₹ 47.96 lakh

The above includes an amount of ₹ 36.42 lakh on account of pre-payments made to, AAI in respect of maintenance of electrical and civil works at AERA Building for the F.Y. 2012-13. As AAI has already rendered services to AERA during 2012-13 and also raised the bills for the same, the amount should have been charged off instead of showing the same as pre-payments. This has resulted in overstatement of 'Loans, Advances and Other Assets' by ₹ 36.42 lakh and consequent understatement of 'Excess of Expenditure over Income' to the same extent.

The issue was also raised in the year 2012-13 but no corrective action has been taken.

B. Income and Expenditure Account

Expenditure

Depreciation (Schedule-8) - ₹ 56.87 lakh

The above is understated by ₹ 11.40 lakh (including ₹ 7.60 lakh relating to prior periods) due to charging of depreciation on lease hold improvements @ 10 per cent instead of @ 11.76 per cent corresponding to remaining life of lease period. Resultantly, 'Excess of Expenditure over Income' is understated to the same extent.

The issue was also raised in the year 2012-13 but no corrective action has been taken.

C. Grants-in-aid

During the year 2013-14, AERA received grant of ₹ 570.00 lakh from Ministry of Civil Aviation. It had an unspent balance of ₹ 0.43 lakh of the previous year. Out of total grant of ₹ 570.43 lakh, AERA could utilize ₹ 542.67 lakh leaving a balance of ₹ 27.76 lakh.

D. Management Letter


Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of the Management through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

- (v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- (vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other

matters mentioned in Annexure to this Separate Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

- (a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of Airports Economic Regulatory Authority of India as at 31 March 2014; and
- (b) In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India



11/3/2015

(Vimalendra Patwardhan)

**Principal Director of Commercial Audit
& Ex-officio Member, Audit Board-I,
New Delhi**

Place: New Delhi

Date: 11 March 2015

Annexure

1	Adequacy of Internal Audit System	There is no system of internal audit in the authority.
2	Adequacy of Internal Control System	<p>Internal control system needs to be strengthened further on account of the following:</p> <p>(a) LTC advance are being charged off as expenditure instead of showing as an advance.</p> <p>(b) Non-reconciliation of advance given to AAI for repair and maintenance work as against the amount of ₹ 8.95 lakh shown as advance; AAI has confirmed receipt of advance of ₹7.40 lakh and adjusted balance amount of ₹1.54 lakh for previous years.</p>
3	System of Physical Verification of Fixed Assets	<p>Test check reveals that register does not contain all the required information, viz., bill no., date, location of assets.</p> <p>Further though a committee of three officials was constituted for physical verification of fixed assets, however, the report was signed by only one member. Moreover, the verification was restricted to additions made during the year 2013-14 only.</p>
4	System of Physical Verification of Inventory	There was no inventory.
5	Regularity in payment of Statutory dues applicable to them.	During test check, it was noticed that there were delays in depositing TDS in contravention of provisions of IT Act, 1961.

**MANAGEMENT REPLIES TO THE COMMENTS OF C&AG, IN ITS SEPARATE AUDIT
REPORT ON THE ACCOUNTS OF THE AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY
AUTHORITY OF INDIA FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014**

Sl. No.	Observation of the C&AG	Reply of the Authority
A	Balance Sheet	
1.	<u>Corpus/Capital Fund Liabilities:</u>	
1.1	<p><u>Corpus/Capital Fund (Sch.I) – Rs. 131.41 Lakh :</u> An amount of Rs. 53.11 lakh(net) relating to previous year was adjusted from Corpus/Capital fund on account of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Reversal of excess repair & maintenance expenses charged by AAI – Rs. 21.31 Lakh (ii) Reversal of excess expenditure claimed by Air India – Rs. 45.38 Lakh. (iii) Charging of rent for leased space taken from Air India – (-) Rs. 12.03 Lakh. (iv) Charging of balance amount of repairs and maintenance work done by AAI – (-) Rs. 1.55 Lakh <p>As the above adjustment was relating to previous year 2012-13, the same should have been accounted for through Prior Period Adjustment Account under Income and Expenditure Account instead of adjusting against the corpus/capital fund. Resultantly, Excess of Expenditure over income is overstated by Rs. 53.11 lakh.</p>	<p>The observation of the Audit has been noted and the adjustments, if any in future will be done as per the procedure advised the Audit.</p>
1.2	<p><u>Current Liabilities and Provisions (Schedule 7) – Rs. 229.51 Lakh:</u> This is understated by Rs., 429.91 lakh on account of the following :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Non-Provision of liability on account of air tickets provided to AERA employees by Air India Ltd – Rs. 3.96 lakh. 	<p>(i) The bills amounting to Rs. 5.93 Lakhs on account of domestic travel were received in the month of March 2013. Accordingly, the liability of Rs. 6.00 lakh was created. However, the bills amounting to Rs. 4,03,333/- were received in 2014-15. As such the liability for these bills could not be created and total liability of Rs. 6.00 lakh was created. However, the observation of Audit has been noted for future compliance.</p>

	<p>(ii) Non-Provision of liability on account of audit fees for the years 2012-13 and 2013-14. – Rs. 8.75 lakh.</p> <p>(iii) Non-Provision of liability on account of manpower services availed from AAI during the period from 2010-11 to 2013-14 – Rs. 421.49 Lakh.</p> <p>(iv) Excess provision of liability on account of lease rent payable to Air India Ltd – (-) Rs. 4.29 lakh</p> <p>Consequently,, 'Excess of Expenditure over income' is understated by Rs. 429.91 Lakh.</p>	<p>(ii) The demand amounting to Rs. 7.19 lakh raised by the CAG was towards audit fee for 2010-11 and 2011-12 for which provision of Rs. 7.70 lakh was provided in the books of accounts. The provision of auditors' remuneration for 2012-13, 2013-14 and 2014-15 will be provided in the accounts of 2014-15.</p> <p>(iii) The Authority is presently being funded through Grant-in-Aid under the Budget of the Ministry of Civil Aviation, which has been found inadequate to meet out the liabilities of the Authority. In order to overcome this problem, the Authority has submitted a proposal to the Govt. for obtaining in-principle approval for engagement of manpower from AAI on loan basis and to reimburse the cost to AAI on actual basis. Once the proposal is agreed to by the Govt and additional fund is provided in the Grant-in-Aid, the Authority would incur the expenditure on the employees of AAI who have been deputed on loan basis to AERA. Till such time, making provision for salary etc for AAI employees in the Books of Accounts of the Authority would create further budgetary deficit of the Authority and increase its carry over liabilities.</p> <p>(iv) While reviewing the liabilities towards rent for leased space from 2010-11 onward, the liability of Rs. 4,29,478/- booked in 2011-12 was not taken into account and total liability of Rs. 12,03,455/- was booked instead of Rs. 7,73,977/- which resulted in overstatement of current liability and provision to the extent of Rs.4,29,478/-. The same has been noted and will be adjusted in the Annual Accounts of 2014-15.</p>
2	<p>Assets: Current Assets, Loans and Advances etc (Schedule-11): Loans, Advances and Other Assets – Rs. 47.96 Lakh</p> <p>The above includes an amount of Rs. 36.42 lakh on account of pre-payments</p>	<p>An amount of Rs.36.42 lakh was released to AAI as pre-payment for</p>

	<p>made to AAI in respect of maintenance of electrical and civil works at AERA Building for the F.Y. 2012-13. As AAI has already rendered services to AERA during</p> <p>showing the same as pre-payments. This has resulted in overstatement of 'Loans, Advances and Other Assets' by Rs. 36.42 lakh and consequent understatement of 'Excess of Expenditure over Income' to the same extent. The comment was also raised in the year 2012-13 but no corrective action has been taken.</p>	<p>maintenance work. The matter regarding submission of final bills has been discussed with AAI after which AAI submitted all the required bills pertaining to maintenance work of 2013-14. Accordingly, the necessary adjustments regarding advances paid</p>
B	<p><u>INCOME & EXP. ACCOUNT</u> Expenditure : Depreciation (Schedule 8) – Rs. 56.87 Lakh</p> <p>The above is understated by Rs.11.40 lakh (including Rs. 7.60 lakh relating to prior period) due to charging of depreciation on lease hold improvements @10 per cent instead of @ 11.76 per cent corresponding to remaining life of lease period. Resultantly, 'Excess of Expenditure over Income' is understated to the same extent. The comment was also raised in the year 2012-13 but no corrective action has been taken.</p>	<p>The Authority has been charging depreciation on leasehold improvements on the basis of the useful life of the assets and not on the basis of lease period. However, the observation of the Audit has been noted and depreciation charged will be reviewed.</p>
C	<p><u>Grants-in-Aid</u></p> <p>During the year 2013-14, AERA received grant of Rs. 570.00 lakh from Ministry of Civil Aviation. It had an unspent balance of Rs. 0.43 lakh of the previous year. Out of total grant of Rs. 570.43 lakh, AERA could utilize Rs. 542.67 lakh leaving a balance of Rs. 27.76 lakh</p>	<p>At the end of FY 2012-13, AERA had an unspent balance of Rs. 0.43 lakh. Further AERA received grant of Rs. 570.00 lakh during FY 2013-14 making the total available grant to Rs. 570.43 lakh. Out of Rs. 570.43 lakh, the Authority utilized Rs. 542.67 lakh leaving a balance of Rs. 27.76 lakh at the end of FY 2013-14. The balance amount of Rs. 27.76 lakh has been taken into account in the grant in aid for 2015-16.</p>
D	<u>ANNEXURE TO SEPARATE AUDIT REPORT</u>	
1	<p>Adequacy of Internal Audit System:</p> <p>There is no system of internal audit in the authority</p>	<p>Due to limited number of employees in AERA, the internal audit system could not be established. The internal audit of the Authority is to be done by the Ministry of Civil Aviation and Ministry is likely to conduct internal audit shortly.</p>
2	<p>Adequacy of Internal Control System:</p> <p>Internal Control system needs to be strengthened further as following deficiency were noticed:</p> <p>(a) In the case of giving LTC advance to the employees, the same was charged off as expenditure instead of showing it as an advance.</p>	<p>(a) The observation of the Audit has been noted for future compliance.</p>

	(b) As per books of Accounts an amount of Rs.8,95,003 given to AAI for repair and maintenance was shown as advances whereas concerned department & communication received from AAI only an amount of Rs.740223 has been confirmed as advance received after adjusting Rs.1.54 lakh pertaining to previous year.	(b) An amount of Rs.36.42 lakh was released to AAI as pre-payment for maintenance work. The matter regarding submission of final bills has been discussed with AAI after which AAI submitted all the required bills pertaining to maintenance work of 2013-14. Accordingly, the necessary adjustments regarding advances paid to AAI in 2012-13 and 2013-14 will be made in the accounts for 2014-15.
3	System of Physical Verification of Fixed Assets: The test check of fixed assets registers reveals that the register does not contain all the required information like bill no., date, location of assets. Further though a committee of three officials was constituted for the physical verification of fixed assets. However, the report submitted to audit was signed by only one member and restricted up to the additions made during the year 2013-14.	The point is noted for future compliance and exercise to ascertain the shortage/excess of fixed assets subsequent to verification will be carried out in the current financial year. The report has been duly signed by all members of the Committee.
4	System of Physical Verification of Inventory: There was no inventory.	Since the Authority is not holding any inventory items, no inventory is being maintained in the Authority.
5	Regularity in payment of Statutory dues applicable to them: During test check, it was noticed that there were delays in depositing TDS as mandated by IT Act, 1961, in the case of amounts credited in the books of Accounts (as liability), for the year end (March 14) should be deposited to the central govt. by 30 th April 2014.	The Authority is deducting tax on payments made from the budget and depositing the same with the Central Government. The amounts credited in the books of accounts are generally paid in the month of April and tax is being deposited with the Central Government in first week of May. The tax on amounts, which are yet to be settled, is deducted at the time of payment and deposited accordingly.